क्रम-संख्या--576

रजि० नं० एल० डब्लू०/एन० पी० ...
लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०-41
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 23 अगस्त, 1995

भाद्रपद 1, 1917 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1587/सत्रह-वि-1-1-(क) 18-1995

लखनऊ, 23 अगस्त, 1995

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1995 पर दिनांक 22 अगस्त, 1995 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1995 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1995

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1995]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1995 कहा जायगा। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 14 जनवरी, 1995 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1951 में नयी धारा 131-ख का बढ़ाया जाना

2—उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 131-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर दस वर्ष के पश्चात् संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जायेगा

"131—ख—(1) प्रत्येक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1995 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो और दस वर्ष या अधिक अवधि के लिए ऐसा भूमिधर रहा हो, ऐसे प्रारम्भ पर संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जायगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रारम्भ पर, असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो या ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाता है, असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर होने से दस वर्ष की अवधि की समाप्ति पर संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जायगा।

(3) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में दी गयी किसी बात के होते हुये भी, यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाने के पश्चात् किसी द्वारा भूमि का अन्तरण करता है तो वह गांव सभा या राज्य सरकार में निहित किसी भूमि के या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 में यथापरिभाषित अतिरिक्त भूमि के पट्टे के लिये पात्र नहीं रह जायगा।"।

निरसन और व्यावृत्ति

3—(1) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1995 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1995 द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी तात्त्विक समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

नरेन्द्र कुमार तारंग,

प्रमुख सचिव।

No. 1587 (2)/XVII-V-1-1(KA) 18-1995

Dated Lucknow, August 23, 1995

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Zamindari Vinash Aur Bhumi Vyasthu (Sanshodhan) Adhiniyam, 1995 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 19 of 1995) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 22, 1995 :

THE UTTAR PRADESH ZAMINDARI ABOLITION AND LAND REFORMS (AMENDMENT) ACT, 1995

[U. P. Act No. 19 of 1995]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950.

It is hereby enacted in the Forty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms (Amendment) Act, 1995.

(2) It shall be deemed to have come into force on January 14, 1995.

2. In the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, *hereinafter* referred to as the principal Act *after* section 131-A, the following section shall be *inserted*, namely,–

Insertion of new section 131-B in U. P. Act no. 1 of 1951

"131-B. (1) Every person who was a bhumidhar with non transferable rights immediately before the commencement of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms (Amendment) Act, 1995 and had been such bhumidhar for a period of ten years or more, shall become a bhumidhar with transferable rights on such commencement.

Bhumidhar with non-transferable rights to become bhumidhar with transferable rights after ten years

(2) Every person who is a bhumidhar with non-transferable rights on the commencement referred to in sub-section (1), or becomes a bhumidhar with non-transferable rights after such commencement, shall become bhumidhar with transferable rights on the expiry of period of ten years from his becoming a bhumidhar with non-transferable rights.

(3) Notwithstanding anything contained in any other provision of this Act, if a person, after becoming a bhumidhar with transferable rights under sub-section (1) or sub-section (2), transfers the land by way of sale, he shall become ineligible for a lease of any land vested in Gaon Sabha or the State Government or of surplus land as defined in the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960."

U.P. Ordi. No. 14 of 1995

3. (1) The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms (Amendment) (Second) Ordinance, 1995 is hereby repealed.

Repeal and savings

U.P. Ordinance No. 6 of 1995

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), or the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms (Amendment) Ordinance, 1995 shall be deemed to have been done or taken under the Corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
N. K. NARANG,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०--ए० पी० 211 सा० विधा०-(2764)-1995-850 (मैक०)